कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्नातकमहाविद्यालय आठनेर
जिला बैतूल, (म.प्र.)

क्रमांक 293 /स्थापना/2021 आठनेर दिनांक 23.08.2022

विज्ञापन

शासकीय महाविद्यालय आठनेर जिला– बेतूल म.प्र. में स्ववित्तीय योजना अंतर्गत संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्यापन कार्य हेतु विषयवार अतिथि विद्वानों के पद पर कार्य करने हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के सचिव की ओर से आमंत्रित किये जाते है।

कमांक	पद का नाम	विषय एवं पद संख्या	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव
01	अतिथि विद्वान (मानदेय 7000.00 प्रति माह)	समाजशास्त्र, एवं अर्थशास्त्र कुल संख्या –02	अनिवार्य योग्यता :– संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि । **वांछनीय** :– नेट/स्लेट/एवं पी.एच.डी उपाधि धारक एवं अध्यापन कार्य का अनुभव ।
02	चौकिदार (मानदेय 6000.00 प्रति माह)	चौकिदार	अनिवार्य योग्यता :– 10 वी पास

01. आवेदन पत्र प्राचार्य/सचिव जनभागीदारी समिति शासकीय महाविद्यालय आठनेर जिला बैतूल म.प्र. के नाम से देय होगा।
02. आवेदन पत्र सादे कागज पर आवश्यक विवरण दर्शाते हुए स्वंय का पता, पासपोर्ट साईज फोटो मोबाईल नम्बर सहित स्वप्रमाणित सत्य प्रतिलिपियों के साथ विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 07 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में व्यक्तिगात रूप से अथवा डाक द्वारा जमा कर सकते है।
03. आवेदन पत्र लिफाफे पर आवेदित विषय एवं पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखे। आनलाईन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेगे। अपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जावेगा।
04. सभी पद पूर्णतः अस्थाई है। चयनित व्यक्ति महाविद्यालय के स्थापना के अंतर्गत नही माना जावेगा। और लोकसेवा की विहित परिभाषा के अंतर्गत नही माना जावेगा।
05. चयन प्रकिया उ.शि.वि म.प्र.शासन के पत्र दिनांक 17.12.2019 में वर्णित प्रावधान अनुसार एवं विभाग द्वारा जारी अतिथि विद्वान एवं अस्थाई कर्मीयो के चयन हेतु समय समय पर जारी दिशा निर्देशो के अधीन रहेगी।
06. पदो की संख्या में किसी भी समय आवश्यकतानुसार कमी या वृध्दि की जा सकेगी । चयन उपरांत चयनित अतिथि विद्वानो का आमंत्रण कभी भी बिना सूचना के समाप्त करेने का अधिकार प्राचार्य /सचिव जनभागीदारी समिति शा.महा.आठनेर के पास होगा।

07. उपरोक्त विज्ञापित पद पर महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित मानदेय रूप्ये प्रदाय किया जायेगा। कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर किसी भी समय बिना सूचना दिये हटाने का अधिकार प्राचार्य/सचिव जनभागीदारी समिति को होगा।

08. महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति को चयन प्रकिया निरस्त करने अथवा आंशिक संशोधन करने का वैधानिक अधिकार होगा।

23/08/22

प्राचार्य/ सचिव
जनभागीदारी समिति शा.महा.
आठनेर जिला बैतूल